विज्ञप्ति सूचना

विज्ञप्ति संख्या : 3187 / उ0आ0वि0 / भर्ती / विज्ञप्ति / 2021–22

दिनांक : 04 जनवरी, 2022

विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में गैर–शैक्षणिक संवर्ग के उपकुलसचिव के एक रिक्त पद (अनारक्षित) को नियमित / प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने हेतु अभ्यर्थियों से विश्वविद्यालय वेबसाईट से डाउनलोड किये गये निर्धारित प्रारूप पर भरकर स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र भेजने की **तिथि 27.01..2022 की अपरान्हः 5:00 बजे तक** आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पद का आरक्षणानुसार विवरण निम्नवत् हैः–

प्रशासनिक संवर्ग				
पद कोड़	**पदनाम**	**वेतनमान**	**पदों की कुल संख्या**	**आरक्षण की स्थिति**
01	उपकुलसचिव	रूपया 8000–13500 (पुराना वेतनमान)	01	01 GEN (सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा)

नोट :–

शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आरक्षण नियमानुसार अनुमन्य होगा। पद की संख्या बिना पूर्व सूचना के घटाई, बढ़ाई अथवा सम्पूर्ण विज्ञप्ति / आंशिक विज्ञप्ति निरस्त / संशोधित की जा सकती है, तदनुसार आरक्षण की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार उत्तर योग्य नहीं होगा। समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित पुनरीक्षित वेतनमान नियमानुसार देय होगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही के संबंध में समस्त अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होंगे तथा विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

2– उपकुलसचिव पद हेतु शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव :–

(1) [redacted] हेतु न्यूनतम–अनिवार्य / अधिमानी अर्हता विश्वविघालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप होगी।

3– (1) पद कोड संख्या 01 पर अत्यधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में आवेदन पत्रों की short-listing की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। इस सम्बन्ध में आवश्यक short-listing व्यवस्था की प्रक्रिया को विश्वविघालय वेवसाईट पर अपलोड किया जायगा। तदोपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित चयन समिति के माध्यम से चयन की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

4– आयु – आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जनवरी, 2022 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी, 2022 को 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(क) परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

5– **अनापत्ति प्रमाण–पत्र** – जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में हों, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6– **वैवाहिक परिस्थिति** – सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नही होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो:

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

7– **आरक्षण**:–शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आरक्षण नियमानुसार अनुमन्य होगा।

8– **शुल्क** :– अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ बैंक के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो **वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून** के नाम देय हो, अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथि के अन्तर्गत जमा करना होगा, **यह शुल्क प्रतिदेय नहीं होगा**। यदि अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के उपरान्त विश्वविद्यालय को प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा।

क0सं0	**श्रेणी**	**शुल्क**
1.	अनारक्षित (सामान्य)	रू0 2000/– मात्र

9– **राष्ट्रीयता** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:–

(क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी, हो जो भारत में स्थायी रूप से बसनें के आशय से 01 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया, यूगांडा यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो,

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महनिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें। परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

10— **चरित्रः**— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

11— अभ्यर्थीगण विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.uau.ac.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर उपयोग में ला सकते हैं। निर्धारित प्रारूप पर ही अभ्यर्थी अपना आवेदन (परीक्षा शुल्क संबंधी बैंक ड्राफ्ट (मूलरूप में) एवं समस्त शैक्षिक/वांछनीय अर्हताओं के प्रमाण पत्रों के स्वःप्रमाणित प्रतियों सहित) कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हर्रावाला परिसर, देहरादून — 248001 के नाम मात्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 27.01.2022 की अपरान्ह 05:00 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं। **आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थियों को डाक टिकट लगा हुआ स्वपता लिखा 03 लिफाफे संलग्न करना अनिवार्य है।** उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेगें। उक्तानुसार निर्धारित समय—सीमा के उपरान्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा **कालबाधित लिखवाते हुए संबंधित डाकघर से ही वापिस करा दिया जायेगा। विश्वविद्यालय को प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे में अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से ऊपर विज्ञप्ति संख्या (   ), आवेदित पद का नाम एवं पदकोड संख्या लिखा जाना अनिवार्य होगा।**

12— योग्य अभ्यर्थी प्राप्त न होने की दशा में पदों को रिक्त रखा जाएगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन/आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13— इस विज्ञप्ति से संबंधित नवीनतम सूचनायें/अद्यतन जानकारियां मात्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट के माध्यम से प्रसारित की जायेंगी, किसी अन्य माध्यम से नहीं। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

14— यदि कोई भी अभ्यर्थी अनैतिक माध्यम से परीक्षा/साक्षात्कार से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी को सम्पर्क स्थापित करता है तो उसका अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा

कुलपति